संख्या– 2003 / III (2) / 07–19(बजट) / 2007

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 अगस्त, 2007

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 2280 / 25 बजट(प्रतिकर) / 2007–08 दिनांक 12.7.2007 के सन्दर्भ में वित्त अनुभाग–1 के पत्र सं0 599(1) / XXVII (1)/2007 दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा शासनादेश सं0–683 / III–2 / 07–19(बजट) / 2007 दिनांक 7 मई,2007 एवं सं0–1155 / III(2) / 07–19(बजट) / 2007 दिनांक 25 मई,2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सडक /भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित रू0 60.00 करोड़ (रू0 साठ करोड मात्र) की धनराशि में से लेखानुदान 2007–08 के प्राविधान से अवमुक्त धनराशि रू0 6.00 करोड (रू0 छः करोड़) एवं पुर्नविनियोग द्वारा स्वीकृत रू0 30.00 करोड (रू0 तीस करोड़) को कम करते हुए **अवशेष धनराशि रू0 24.00 करोड़ (रू0 चौबीस करोड़ मात्र) को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

2– एन0पी0वी0 एवं भूमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरियता के आधार पर किया जायेगा। अर्थात सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सडकों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरियता के आधार पर जैसे–2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3– **भूमि प्रतिकर भुगतान में मा0 न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरीयता में किया जायेगा।**

4– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5– जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा क्रय की गई भूमि का शीघ्र विभाग के नाम हस्तान्तरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा ।

6– उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

7– स्वीकृत धनराशि का आहरण साख सीमा के माध्यम से आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– **यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन को समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय साख परिव्यय के अधीन, स्थापित नियमों एवं प्रकिया के अधीन ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया

जायेगा कि सभी परिपक्व रखे प्रस्तर–2 की वरियता के अनुसार तत्काल भुगतान सुनिश्चित करके इसका मासिक व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

10– इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय 04–जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–05 सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0– 316/XXVII(2)/07, दिनांक, 22 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– 2003 (1)/III(2)/07,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमांयू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमांयू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोड़ा।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।